

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व प्रकरण संख्या 01/2014

श्री शिवराज पुत्र श्री रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हितंगड़ा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री कमलेश पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम भाटोलाव, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

2. राजस्व प्रकरण संख्या 02/2014

श्री शिवराज पुत्र श्री रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हितंगड़ा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति कान्ता पत्नी श्री प्रधान जाति जाट निवासी ग्राम भाटोलाव, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

3. राजस्व प्रकरण संख्या 03/2014

श्री शिवराज पुत्र श्री रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हितंगड़ा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति सीता पत्नी श्री सुखपाल जाति जाट निवासी ग्राम भाटोलाव, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण



अपर कलक्टर
अजमेर

अन्तर्गत नियम 14(4) सपठित नियम 20(2)
राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

- उपस्थित: 1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

—: आदेश :-

दिनांक 16.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। उपरोक्त तीनों ही प्रकरण में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दु नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.02.2013 को आयोजित राजस्व शिविर अजमेर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा सर्व श्री कमलेश पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम भाटोलाव तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम सोहनपुरा स्थित खसरा नम्बर 261 मिन रकबा 5 बीघा श्रीमति कान्ता पत्नी श्री प्रधान जाति जाट निवासी ग्राम भाटोलाव तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम सोहनपुरा स्थित खसरा नम्बर 189 रकबा 6 बीघा व इसी प्रकार श्रीमति सीता पत्नी श्री सुखपाल जाति जाट निवासी ग्राम भाटोलाव तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम सोहनपुरा स्थित खसरा नम्बर 261 मिन रकबा 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब नोटिस पेश करने हेतु समुचित अवसर दिया गया, किन्तु उन्होंने जवाब नोटिस पेश नहीं किया न ही वरवक्त बहस उपस्थित हुए अतः प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय



शुभकरण सिंह चौधरी
वकील
अजमेर

द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही वे विवादित भूमि के नियमन के पात्र थे। अप्रार्थी ने नियमन आवेदन पत्र के साथ खसरा परिवर्तनशील तथा पी.14 की नकलें पेश की है जो बनावटी एवं फर्जी है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सरवाड़ से मूल राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील एवं पी.14 की प्रमाणित प्रतियां चाही गई किन्तु उनके द्वारा प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि केवल शपथ पत्र के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन कर दिया गया है जो आवंटन नियमों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही परिवार के तीन सदस्यों को पृथक-पृथक भूमि का नियमन किया गया है, यह गौरतलब है कि जगदीश जाट के तीन लड़के एक प्रधान, दूसरा सुखपाल व तीसरा नारायण है जिनको नियमन किया गया है उसमें कान्ता पत्नी प्रधान, सीता पत्नी सुखपाल व कमलेश पुत्र नारायण है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा एक ही परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का नियमन किया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा न ही भूमि नियमन के पात्र हैं उन्होंने अधिक भूमि होने के तथ्यों को छिपाकर नोशनल शेयर कम बताकर विवादित भूमि का नियमन करवाया है। वरवक्त नियमन कमेटी का कोरम पूरा नहीं था। आक्षेपित नियमन आदेश पर प्रधान, विधायक, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, व अनुसूचित जाति के मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह अपूर्ण है तथा तस्दीकशुद्धा भी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 सदभाविक कृषक नहीं है, उन्होंने नियमन की शर्तों की पालना किये बिना तथ्यों को छिपाकर विवादित भूमि का नियमन करवाया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार बाद विधिक जांच के आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में विवादित भूमि का नियमन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक नहीं थे। अप्रार्थी के नाम नोशनल शेयर से 8 बीघा भूमि हिस्से में आती है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है



श्री
शर कलशदा
वजय

जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपा कर विवादित भूमि का नियमन करवाया गया हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत जांच पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.6(7)राज-4/77/1 दिनांक 16.10.2001 के द्वारा निर्धारित नीति के तहत विवादित भूमि का नियमन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि वरवक्त नियमन कमेटी का कोरम पूरा नहीं था जबकि उपखण्ड अधिकारी के अतिरिक्त कमेटी के तीन सदस्य तहसीलदार, विकास अधिकारी व सरपंच के हस्ताक्षर नियमन आदेश पर अंकित है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक नहीं है जबकि नोशनल शेयर से अप्रार्थी के हिस्से में 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि आती है। प्रार्थी का एक ओर तो यह कथन है कि अप्रार्थी सद्भाविक कृषक नहीं है वहीं दूसरी ओर यह कथन है कि इनके पास पूर्व में ही अधिक कृषि भूमि है, इस प्रकार उनके स्वयं के कथनों में विरोधाभास है। रिकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि उनके द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का नियमन करवाया गया हो।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर